जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

30/16

अपील सूचना अधि. सं0 30/2016 अनवानी श्री ओमप्रकाश पुत्र रामधन निवासी 59 एलएनपी सेकेण्ड वी.पी.ओ रिडमलसर तहसील पदमपुर बनाम तहसीलदार, पदमपुर

31–03–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पदमपुर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र (बिना दिनांक) के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार पदमपुर से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

> चक 68 एलएनपी तहसील पदमपुर के मुरब्बा न0 98, 99 और 100 सन 1950 से आज दिनांक 24.12.2015 तक कब कब और किस किस के नाम ईन्तकाल दर्ज की गई।

अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार पदमपुर से चक 68 एलएनपी के मु0न0 98,99,100 के वर्ष 1950 से अब तक कितने नामान्तरकरण दर्ज हए है की सूचना चाही थी जिसके लिए उसे तहसीलदार कार्यालय से सूचना प्राप्त करने की एवज में राजकिय शुल्क जमा करवाने के लिए कहा गया है जबकि उससे सूचना के अधिकार अधिनियम के नियमो के अनुसार ही शुल्क लिया जाना चाहिए। अतः उसके द्वारा चाही गई सूचना, सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित शुल्क के अनुसार दिलाने के आदेश दिये जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में तहसीलदार (भू.अ.) पदमपुर ने अपने प्रतिवेदन संख्या 723 दिनांक 11.03.2016 से निवेदन किया है कि प्रार्थी ओमप्रकाश का आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2015 को उन्हे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा चक 68 एलएनपी के मु.न. 98,99,100 के सन 1950 से दिनांक 24.12.2015 तक कब कब और किस किस के नाम ईन्तकाल दर्ज हुए है की सूचना चाही गई थी जिसके संबंध में प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्र सं0 भू.अ./16/104 दिनांक 08.01.2016 से सूचित कर दिया गया था जो निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

> आपके प्रा0 पत्र के प्रसंग में सूचना पटवारी हल्का से चाही गई जो इस प्रकार हैः–
>
> यह कि चक 68 एलएनपी के मु0न0 98, 99, 100 के वर्ष 1950 से 1972 तक के नामान्तरकरण जिला अभिलेखागार श्रीगंगानगर से प्राप्त किये जा सकते है।
>
> वर्ष 1972 से आज तक उक्त मुरब्बा के कुल 145 नामान्तरकरण दर्ज हुए है जिनकी सत्य प्रतियां निर्धारित राजकीय शुल्क जमा करवाकर पटवारी हल्का रिडमलसर से प्राप्त की जा सकती है।

तहसीलदार पदमपुर ने अपने प्रतिवेदन में यह भी निवेदन किया है कि उनके कार्यालय के पत्र सं0 भू0अ0/16/287 दिनांक 02.02.2016 द्वारा राज0 भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 28 के अनुसार नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए 20रूपये प्रत्येक नामान्तरकरण की प्रति के लिए राशि जमा करवाने के लिए की सूचना की तामील भी प्रार्थी पर दिनांक 03.02.2016 को करवा दी गयी है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

30/16 #3/2

चूंकि राज0 भू अभिलेख नियमावाली 1957 एक विशिष्ट नियम है जिसमें भू अभिलेख से संबंधित अभिलेख जमाबंदी–नामान्तरकरण आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियां जारी करने के लिए अलग से प्रावधान है और अलग–2 दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियों के लिए अलग–2 फीस निर्धारित है। किसी भी प्राईवेट पक्ष को उक्त नियमों के अन्तर्गत आने वाले दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस की छूट नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार पदमपुर द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले 145 नामान्तरकरणो की प्रतिलिपियों के लिए दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पदमपुर को हिदायत की जाती है कि यदि अपीलार्थी 145 नामान्तरणकरण की प्रतिलिपियों के लिए राज0 भू अभिलेख नियमावाली 1957 के अनुसार 20 रूपये प्रति नामान्तरकरण शुल्क की दर से राशि जमा करवा दे तो नियमानुसार उसे नियमानुसार प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (भू.अ.) पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर